



हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)-246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

दूरभाष/Telephone : 01346 - 252143 (O)
फैक्स/Fax : 01346 - 252247 (O)
ईमेल/Email : registrar.hnbgu@gmail.com

पत्रांक : हे.न.ब.ग.वि.वि./मान्यता/2022/517

दिनांक : 03/03/2022

सेवा में,

प्राचार्य/निदेशक/सचिव
दून इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन,
9माइल स्टोन, ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे,
श्यामपुर, ऋषिकेश।

विषय:- सत्र 2020-21 के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण विषयक।


महोदय,

विश्वविद्यालय द्वारा जारी नोटफिकेशन पत्रांक संख्या- मान्यता/225 दिनांक 17.09.2021, पत्रांक सं- हे0न0ब0ग0वि0वि0/मान्यता/2021/408 दिनांक 31.12.2021, पत्रांक सं-हे0न0ब0ग0वि0वि0/मान्यता/2022/418 दिनांक 06.01.2022, पत्रांक सं-हे0न0ब0ग0वि0वि0/मान्यता/2021-22/432 दिनांक 22.01.2022 एवं पत्रांक सं- हे0न0ब0ग0वि0वि0/मान्यता/20221-22/457 दिनांक 04.02.2022 के क्रम में ऑनलाइन एफिलियेशन पोर्टल के माध्यम से कालेज/संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं व जमा शुल्क तथा कालेज/संस्थान द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये गये 28 बिन्दुओं के शपथ पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालयादेश संख्या-मान्यता/2021/257 दिनांक 07.10.2021 व पत्रांक संख्या- हे0न0ब0ग0वि0वि0/आर0ओ0/2022/44 दिनांक 02.02.2022 से गठित समितियों की संस्तुतियों एवं कुलपति महोदया द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम की धारा 11 (3) में निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए उपधारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार दून इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 9 माइल स्टोन, ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे, श्यामपुर, ऋषिकेश में स्ववित्त पोषित में संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम में 50सीट के साथ सत्र 2020-21 के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की, विश्वविद्यालय कार्य परिषद बैठक की स्वीकृति की प्रत्याशा में अस्थाई स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए यू0जी0सी0/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करनी होगी।
2. शिक्षकों को यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे माध्यम से करना होगा।
3. एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
4. इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिए निर्धारित परिसर में किसी अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालित नहीं किये जायें तथा कालेज/संस्थान में किसी दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।
5. विश्वविद्यालय के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
6. कालेज/संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।
7. आपके महाविद्यालय/संस्थान के औचक निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति को सम्बद्धता पोर्टल (Affiliation Portal) पर अपलोड की गयी सूचनाओं, प्रपत्रों एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्रों का अवलोकन कराना होगा।
8. कालेज/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय के सम्बद्धता पोर्टल पर अपलोड किये गये प्रपत्रों, शिक्षकों के शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्रों, पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाओं के सत्यापित प्रपत्रों की हार्डकॉपी एवं 28 बिन्दुओं के शपथ-पत्र (मूलरूप) के साथ दो सप्ताह के अर्न्तगत विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी।
9. प्रत्येक तीन माह में फैकल्टी को किये गये वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेन्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा।
10. स्वीकृत सीटों पर दिये गये प्रवेशों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण सहित सूची प्रवेश पूर्ण होने के एक सप्ताह के अर्न्तगत विश्वविद्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
11. उपरोक्त का अनुपालन न करने पर कालेज/संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रतिलिपि:- 1. उप कुलसचिव परीक्षा/परीक्षा नियंत्रक/समन्वयक प्रवेश परीक्षा।
2. प्रति कुलपति, कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ।
3. गार्ड फाइल।

भवदीय


कुलसचिव 03/03/2022

कुलसचिव

119-31





हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)-246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

दूरभाष/Telephone : 01346 - 252143 (O)
फैक्स/Fax : 01346 - 252247 (O)
ईमेल/Email : registrar.hnbgu@gmail.com

पत्रांक : हे.न.ब.ग.वि.वि./मान्यता/2022/614

दिनांक : 22/09/2022

सेवा में,

प्राचार्य/निदेशक/सचिव
दून इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन,
9माइल स्टोन, ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे,
श्यामपुर, ऋषिकेश।

विषय:- सत्र 2021-22 के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण विषयक।

महोदय,

विश्वविद्यालय द्वारा जारी नोटफिकेशन पत्रांक संख्या- मान्यता/225 दिनांक 17.09.2021, पत्रांक सं- हे0न0ब0ग0वि0वि0/मान्यता/2021/408 दिनांक 31.12.2021, पत्रांक सं-हे0न0ब0ग0वि0वि0/मान्यता/2022/418 दिनांक 06.01.2022, पत्रांक सं-हे0न0ब0ग0वि0वि0/मान्यता/2021-22/432 दिनांक 22.01.2022 एवं पत्रांक सं- हे0न0ब0ग0वि0वि0/मान्यता/20221-22/457 दिनांक 04.02.2022 के क्रम में ऑनलाइन एफिलियेशन पोर्टल के माध्यम से कालेज/संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं व जमा शुल्क तथा कालेज/संस्थान द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये गये 28 बिन्दुओं के शपथ पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालयादेश संख्या-मान्यता/2021/257 दिनांक 07.10.2021 व पत्रांक संख्या- हे0न0ब0ग0वि0वि0/आर0ओ0/2022/44 दिनांक 02.02.2022 से गठित समितियों की संस्तुतियों एवं कुलपति महोदय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिचयन की धारा 11 (3) में निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए उपधारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार दून इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 9 माइल स्टोन, ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे, श्यामपुर, ऋषिकेश में स्ववित्त पोषित में संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम में 50सीट के साथ सत्र 2021-22 के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की, विश्वविद्यालय कार्य परिषद बैठक की स्वीकृति की प्रत्याशा में अस्थाई स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए यू0जी0सी0/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करनी होगी।
2. शिक्षकों को यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे माध्यम से करना होगा।
3. एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
4. इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिए निर्धारित परिसर में किसी अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालित नहीं किये जायेंगे तथा कालेज/संस्थान में किसी दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।
5. विश्वविद्यालय के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
6. कालेज/संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।
7. आपके महाविद्यालय/संस्थान के औचक निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति को सम्बद्धता पोर्टल (Affiliation Portal) पर अपलोड की गयी सूचनाओं, प्रपत्रों एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्रों का अवलोकन कराना होगा।
8. कालेज/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय के सम्बद्धता पोर्टल पर अपलोड किये गये प्रपत्रों, शिक्षकों के शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्रों, पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाओं के सत्यापित प्रपत्रों की हार्डकॉपी एवं 28 बिन्दुओं के शपथ-पत्र (मूलरूप) के साथ दो सप्ताह के अर्न्तगत विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी।
9. प्रत्येक तीन माह में फैंकल्टी को किये गये वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेन्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा।
10. स्वीकृत सीटों पर दिये गये प्रवेशों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण सहित सूची प्रवेश पूर्ण होने के एक सप्ताह के अर्न्तगत विश्वविद्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
11. उपरोक्त का अनुपालन न करने पर कालेज/संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रतिलिपि:- 1. उप कुलसचिव परीक्षा/परीक्षा नियंत्रक/समन्वयक प्रवेश परीक्षा।
2. प्रति कुलपति, कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. गार्ड फाइल।

119-32



भवदीय

कुलसचिव 22/09/2022

कुलसचिव



हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)-246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

दूरभाष/Telephone : 01346 - 252143 (O)
फैक्स/Fax : 01346 - 252247 (O)
ईमेल/Email : registrar.hnbgu@gmail.com

पत्रांक : हे.न.ब.ग.वि.वि./मान्यता/2022/1361

दिनांक : 14/10/2022

सेवा में,

प्राचार्य/निदेशक/सचिव
दून इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन,
9माइल स्टोन, ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे,
श्यामपुर, ऋषिकेश।

विषय:- सत्र 2022-23 के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक निरीक्षण समिति की संस्तुति दिनांक 01.08.2022 तथा कालेज/संस्थान द्वारा दिये गये 31 बिन्दुओं के शपथ-पत्र के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम की धारा 11 (3) में निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार दून इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 9 माइल स्टोन, ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे, श्यामपुर, ऋषिकेश में संचालित स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम में 50 सीट के साथ सत्र 2022-23 के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निरीक्षण समिति द्वारा अंकित निम्न प्रतिबन्धों/कमियों के साथ दी जाती है कि:-

1. Appointment of faculty as per NCTE norms (8 teaching staff for 50 seats),
2. Approval of Principal and faculty appointed by the institution.
3. Salary to be paid as per the UGC scale.
4. Issuing of form 16 to all.

अन्य प्रतिबन्ध निम्नवत होंगे:-

1. संस्थान को एन0सी0टी0ई0/यू0जी0सी0/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
2. शिक्षकों को यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे माध्यम से करना होगा।
3. एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्ल्यू0एस0 के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
4. इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिए निर्धारित परिसर में किसी अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालित नहीं किये जायेंगे तथा दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं करेगा।
5. कुलपति महोदय के आदेश/निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं का उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।
7. निरीक्षण के समय सभी शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कार्मिकों के फार्म-16 देने होंगे।
8. विश्वविद्यालय नियमों का पालन न करने पर कारण बताओं नोटिस जारी कर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।


उपरोक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन निम्नवत करना होगा:-

1. निरीक्षण समिति द्वारा अंकित प्रतिबन्धों/कमियों को 21 दिनों के अर्न्तगत पूर्ण करना होगा।
2. प्रत्येक तीन माह में फैंकल्टी को किये गये वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेंट विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा।
3. स्वीकृत सीटों पर दिये गये प्रवेशों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण सहित सूची विश्वविद्यालय को तीन माह के अर्न्तगत उपलब्ध करानी होगी।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. उप कुलसचिव परीक्षा/परीक्षा नियंत्रक।
2. निजी सचिव, प्रति कुलपति।
3. निजी सचिव, कुलपति, कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ।
4. गार्ड फाइल।

भवदीय


कुलसचिव

कुलसचिव

